राजस्थान सरकार

कार्मिक(क-3 जांच)विभाग

क्रमांक:प.10(6)कार्मिक/क-3/79 जयपुर, दिनांक: 16 फरवरी, 2001

परिपत्र

1. समस्त प्रमुख शासन सचिव/शासन सचिव/विशिष्ट शासन सचिव
2. समस्त विभागाध्यक्ष (जिला कलेक्टर सहित)

विषय: विभागीय जांचों को शीघ्र एवं प्रभावी तरीके से निपटारे के कम में।

1. राज्य सेवकों के विरूद्ध विभागीय जांच की कार्यवाही का समयबद्ध तरीके से निस्तारण होना आवश्यक है । इस संबंध में समय-समय पर इस विभाग द्वारा परिपत्र जारी किये गये हैं लेकिन उक्त परिपत्रों की पालना प्रभावी ढंग से नहीं होने के परिणामस्वरूप जांच कार्य में विलंब होता है । अनेक प्रकरणों में आरोप-पत्र जारी करने में ही काफी समय लग जाता है जिसका मुख्य कारण अपूर्ण या अस्पष्ट आरोप होना या आरोप से संबंधित अभिलेख प्रशासनिक विभाग द्वारा साथ में नहीं भिजवाना है।

2. कई प्रकरणों में अनुशासनिक कार्यवाही के प्रस्ताव भेजने से पूर्व प्रशासनिक विभाग द्वारा प्राथमिक जांच कराई जाती है । प्राथमिक जांच के आधार पर आरोप-पत्र तैयार कर भेजा जाता है लेकिन यह देखने में आया है कि प्राथमिक जांच प्रतिवेदन के संबंध में अपचारी अधिकारी को स्थिति स्पष्ट करने का अवसर प्रदान नहीं किया जाता है जिसके परिणामस्वरूप कुछ ऐसे आरोप भी कायम हो जाते हैं जो अपचारी अधिकारी द्वारा स्थिति स्पष्ट करने पर निरस्त करने पड़ते हैं या फिर उनको संशोधित करना पड़ता है। उपरोक्त स्थिति को देखते हुए निर्देश प्रसारित किये जाते हैं कि प्राथमिक जांच के आधार पर आरोप-पत्र प्रस्तावित करने से पहले **संबंधित अपचारी अधिकारी को प्राथमिक जांच प्रतिवेदन के निष्कर्षों पर उचित समयावधि में स्थिति स्पष्ट करने का अवसर दिया जाना चाहिये तथा अपचारी अधिकारी द्वारा रखे गये पक्ष पर विचार करते हुए आरोपों को अंतिम रूप दिया जाना चाहिये** ।

3. विभाग द्वारा यह भी निर्णय लिया गया है कि भविष्य में विभागीय जांच हेतु प्रस्ताव कार्मिक विभाग को भेजते समय आरोप को विखण्डित कर, वे तथ्य अलग-अलग बतायें, जिनके सिद्ध होने पर आरोप सिद्ध होते हैं और इन तथ्यों को जिस साक्ष्य से प्रमाणित किया जाना है, उसका भी उल्लेख किया जाए । इस तथ्य के संबंध में अपचारी अधिकारी का क्या कथन है, यह भी बताया जाए तथा यह भी अंकन किया जाए कि अपचारी अधिकारी द्वारा दिये गये स्पष्टीकरण से असहमति होने के क्या कारण हैं? इस संबंध में निम्न प्रपत्र में एक चार्ट बनाकर भी भेजना सुनिश्चित किया जाए:-

आरोप संख्या	आरोप का भाग	अपचारी अधिकारी का आरोप के इस भाग के बारे में कथन	अपचारी अधिकारी से असहमत होने के कारण	अभिलेख का विवरण जिससे आरोप का यह भाग सिद्ध होता है	आरोप के इस विभाग को सिद्ध करने वाले गवाह का नाम
1	2	3	4	5	6

उक्त निर्देशों को सभी अधीनस्थ अधिकारीगण के ध्यान में लाया जाकर भविष्य भिजवाये जाने वाले समस्त विभागीय जांच के प्रस्तावों के संबंध में उक्त निर्देशों की पालना सुनिश्चित की जाए ।

16/02/2001

(अशोक सम्पतराम)
शासन सचिव, कार्मिक